समाहरणालय,मधेपुरा

(जिला विकास शाखा)

:- आदेश :-

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर पंचायत मुरलीगंज क्षेत्र अन्तर्गत पी0सी0सी0 कार्य के मद के लिए दिनांक 17.08.2015 को आयोजित जिला संचालन समिति, मधेपुरा द्वारा चयनित योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के द्वारा तकनीकी स्वीकृतियोपरांत समर्पित किया गया है।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3458 दिनांक 21.06.2011 में निहित् निदेश के आलोक में प्रत्येक परियोजना के लिए लागत का 4प्रतिशत हीं सेवा शुल्क (Centage Charge) दिया जाना है। सेवा शुल्क का प्रावधान कार्य कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, द्वारा 4 प्रतिशत किया गया है। निम्न विवरणी कॉलम पॉच के अनुरूप विभिन्न योजनाओं को अलग- अलग प्रशासनिक स्वीकृति कुल मो0 **36,61,000/-** (छत्तीस लाख इकसठ हजार) रू0 पर दी जाती है। साथ हीं सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया जाता है। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणी कॉलम 06 के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति का 40 प्रतिशत राशि यथा कुल **14,64,400/-**रू0 (चौदह लाख चौसठ हजार चार सौ) रू0 मात्र एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से विमुक्त किया जाता है।

नगर पंचायत मुरलीगंज

यो0 सं0/ वर्ष	मद	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रू0 में)	विमुक्त राशि (प्रशासनिक स्वीकृति का 40 प्रतिशत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	02	03	04	05	06	07
11	पथ	वार्ड नंम्बर 01 काशीपुर में बैंगा नदी पर पूरब से बने पुल के दोनों तरफ एप्रोचिंग पी0सी0सी0 पथ का निर्माण	**27,00,400**	**27,00,400**	**10,80,160**	03 माह
12	पथ	नगर पंचायत मुरलीगंज अन्तर्गत वार्ड नंम्बर 04 में आशुतोष झा के घर से रामजानकी मठ तक पी0सी0सी0 पथ का निर्माण लंम्बाई 600फीट	**9,60,600**	**9,60,600**	**3,84,240**	03 माह
		कुल योग :-	**36,61,000**	**36,61,000**	**14,64,400**	

योजना कार्यान्वयन की शर्ते :-

01. संबंधित कार्यकारी एजेंन्सी को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की मार्गदर्शिका एवं सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार उक्त सभी योजनाओं का कार्यान्वयन प्राक्कलन में विर्निष्टियों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुरा करना होगा।
02. **निर्माण प्रकृति की इस योजना का कार्यान्वयन लोक निर्माण संहिता (पी0डब्लू0डी0कोड) के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।** योजना के तहत् सामग्रियों / सेवा के क्रय तथा अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन होगा। कार्यकारी एजेंन्सी आदेश प्राप्ति के पश्चात् अविलंब निविदा प्रकाशन, निविदा निष्पादन, एकरारनामा कर निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होगें।
03. इन योजनाओ के अन्तर्गत बनायी जानेवाली योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगा। इसके लिए जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के संबंधित कनीय अभियंता / सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेदार होगें।

04. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी योजना का प्राक्कलन एवं प्राक्कलन की संक्षिप्त विवरणी एक पृष्ट में मुद्रित कराकर कार्यस्थल पर रखना सुनिश्चित करेंगें। इसमें योजना का नाम, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, योजना पूर्ण करने की तिथि, योजना में लगने वाले श्रम एवं सामग्री की मात्र / ... अंकित रहना चाहिए।

05. योजना प्रारंभ करने से पहले निर्माण के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफी / विडियोग्राफी निश्चित रूप से कराई जाय एवं फोटोग्राफी की एक प्रति संबंधित योजना अभिलेख में रखी जाय एवं उसकी एक प्रति प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, मधेपुरा को भी भेजी जाए।

06. योजना स्थल पर निरीक्षण पंजी रखना अनिवार्य होगा, जिसमें समय –समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी।

07. योजना में स्थानीय मजदूर से हीं कार्य कराया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि उन्हे न्यूनतम मजदूरी का भुगतान निश्चित रूप से हो तथा भुगतान की गई मजदूरी की प्रविष्टि उनके पारिवारिक पंजीयन कार्ड में निश्चित रूप से की जाय।

08. कार्य करने के पूर्व कार्यकारी एजेंन्सी यह सुनिश्चित कर लेगे कि विगत पॉच वर्षो में इस योजना में कोई काय नही हुआ है। साथ हीं किसी अन्य मद से योजना स्वीकृति अथवा निर्माणाधीन नही है।

09. योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नही किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर योजना के कार्य को पूर्ण नही किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यकारी एजेंन्सी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

10. योजना स्थल पर योजना का साईन बोर्ड, जिसमें योजना का नाम, योजना संख्या / वर्ष, प्राक्कलित राशि, संवेदक का नाम, कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता का नाम, मजदूरी दर एवं योजना पूर्ण कराने की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा।

11. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा / नगर पंचायत मुरलीगंज उक्त सभी योजना का User Agency होगे, जो इस आशय का अंडर टेकिंग देगें कि **" योजना के रख – रखाव आदि पर भविष्य में होने वाले सभी प्रकार के व्यय की व्यवस्था करेगें "** कार्यकारी एजेंन्सी योजना पूर्ण होने के पर विधिवत् User Agency को हस्तगत करायेगें।

12. जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के पदनाम से मो0 14,64,400/–रू0 (चौदह लाख चौसठ हजार चार सौ) रू0 मात्र एकाउन्ट पेयी चेक उल्लिखित मद में उपलब्ध राशि में तैयार कर उन्हें हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

<u>इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।</u>

ह0/- 2/3/16
जिलाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक......76......./वि0,मधेपुरा दिनांक....30..../...03......./2016

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन की एक – एक प्रति के साथ सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित, एवं निदेश है कि संबंधित योजना के अंचल के अंचल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण – पत्र प्राप्त करने के उपरांत हीं योजना का कार्यान्वयन आरंभ करेंगे।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत मुरलीगंज, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, डूडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 2/3/16
जिलाधिकारी
मधेपुरा